(वाद सं0.-5021/2017)

01.10.2021

प्रसंगाधीन मामला बिहार पेंशनर समाज प्रखण्ड शाखा साहेबपुर कमाल(बेगूसराय) के सचिव रामजी सिंह द्वारा इलाहाबाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर द्वारा सातव वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों के पेंशन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिलाधिकारी, भागलपुर** से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। **जिलाधिकारी, भागलपुर** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भागलपुर जिला के अग्रणी बैंक के जिला प्रबन्धक द्वारा सूचित किया गया है कि **"Indian Bank (Erstwhile Allahabad bank) के अंचल कार्यालय द्‌वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है कि पुनरीक्षित पेंशन इंडियन बैंक 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व में ही ससमय भुगतान(Credit) कर दिया गया है। साथ ही संबन्धित अधिकारी श्री सुव्रतो राय का इस पद से स्थानांतरण भी पूर्व में ही किया जा चुका है।"**

स्वयं परिवादी रामजी सिंह, द्वारा भी राज्य आयोग को सूचित किया गया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में लंबित पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्‌नुसार , आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक